राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3627/2021

भैरू लाल शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षाा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर प्रथम, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2021
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए दिनांक 03.08.1983 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक शिक्षक (शिल्प) के पद पर की गई। नियुक्ति आदेश के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 04.08.1983 को एसपीआर सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा, जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने दिनांक 04.08.1984 को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है और उसकी सेवाएं दिनांक 20.01.1985 के द्वारा शिक्षक के पद पर नियमित कर दी गई (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.03.2008 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 28.05.2002 से दिया गया लेकिन अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2011 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महरकलां, गोविन्दगढ़, जयपुर में पदस्थापित किया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2011 को कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने दिनांक 18.06.2019 (अनुलग्नक–7) को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 09 वर्ष की सेवा का लाभ नहीं दिया गया। दिनांक 12.03.2008 द्वारा अपीलार्थी को 04.08.1983 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ जारी न किए जाने से अपीलार्थी को आर्थिक नुकसान

उठाना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिचपड़ी, जालसू, जयपुर ने दिनांक 18.06.2019 (अनुलग्नक–8) द्वारा डीईओ को एक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। अतः 09 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी ने वर्ष 1992 में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और अपीलार्थी ने वर्ष 2001 में 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा अवैध तरीके से वर्ष 2006 से द्वितीय चयतिन वेतनमान दिया गया है। अतः अपीलार्थी को वर्ष 1983 से 09 वर्ष की सेवा पर वर्ष 1992 से प्रथम चयनित वेतनमान तथा 18 वर्ष की सेवा पर वर्ष 2006 के बजाए 2001 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य